



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 2012/कार्तिक 19, 1934

No. 579]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 2012/KARTIKA 19, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 7 मार्च, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)
(संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 821(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेंगे ।
- (ii) ये विनियम 12 अप्रैल 2010 से लागू माने जाएंगे। @

2. विनियम 5 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000) में,

विनियम 5 के उप-विनियम (2) में"अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट" शब्दों के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा , अर्थात् :

"और रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा निर्धारित सीमा तथा मार्जिन की आवश्यकताएं साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट संपार्शिक प्रतिभूतियों के बारे में शर्तें"

[सं. फेमा. 222/2012-आरबी]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई 2000 के सं. सा.का.नि. 406(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित की गई है :

दिनांक 02.03.2001	सं. सा.का.नि. 158(अ)
दिनांक 13.03.2001	सं. सा.का.नि. 175(अ)
दिनांक 14.03.2001	सं. सा.का.नि. 182(अ)
दिनांक 02.01.2002	सं. सा.का.नि. 04(अ)
दिनांक 19.08.2002	सं. सा.का.नि. 574(अ)
दिनांक 18.03.2003	सं. सा.का.नि. 223(अ)
दिनांक 18.03.2003	सं. सा.का.नि. 225(अ)
दिनांक 22.07.2003	सं. सा.का.नि. 558(अ)
दिनांक 23.10.2003	सं. सा.का.नि. 835(अ)
दिनांक 22.11.2003	सं. सा.का.नि. 899(अ)
दिनांक 07.01.2004	सं. सा.का.नि. 12(अ)
दिनांक 23.04.2004	सं. सा.का.नि. 278(अ)
दिनांक 16.07.2004	सं. सा.का.नि. 454(अ)
दिनांक 21.09.2004	सं. सा.का.नि. 625(अ)
दिनांक 08.12.2004	सं. सा.का.नि. 799(अ)
दिनांक 01.04.2005	सं. सा.का.नि. 201(अ)
दिनांक 01.04.2005	सं. सा.का.नि. 202(अ)
दिनांक 25.07.2005	सं. सा.का.नि. 504(अ)
दिनांक 25.07.2005	सं. सा.का.नि. 505(अ)
दिनांक 29.07.2005	सं. सा.का.नि. 513(अ)
दिनांक 22.12.2005	सं. सा.का.नि. 738(अ)
दिनांक 19.01.2006	सं. सा.का.नि. 29(अ)
दिनांक 11.07.2006	सं. सा.का.नि. 413(अ)
दिनांक 14.11.2007	सं. सा.का.नि. 712(अ)
दिनांक 14.11.2007	सं. सा.का.नि. 713(अ)
दिनांक 29.11.2007	सं. सा.का.नि. 737(अ)
दिनांक 05.08.2008	सं. सा.का.नि. 575(अ)

दिनांक 30.12.2008

सं. सा.का.नि. 896(अ)

दिनांक 01.12.2009

सं. सा.का.नि. 851(अ)

दिनांक 21.04.2010

सं. सा.का.नि. 341(अ)

दिनांक

सं. सा.का.नि. (अ)

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 7th March, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely :—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into force with effect from April 12, 2010.@

2. Amendment to Regulation 5 –

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000),

In regulation 5, in sub-regulation (2), after the words “specified in Schedule 2”, the following shall be inserted, namely:-

"and the limits and margin requirements prescribed by RBI/SEBI as well as the stipulations regarding collateral securities as specified by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA. 222/2012-RB]

MEENA HEMCHANDRA, Chief General Manager-incharge

Foot Note : (i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341(E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. ----- dated -----

(ii) @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

अधिसूचना

मुम्बई, 11 अप्रैल, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 822(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलायेगी।
- (ii) ये विनियम 2 मई 2011 से लागू माने जायेंगे।@

2. विनियमों में संशोधन -

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.5/आरबी-2000) में,

(i) विनियम 5 में, उप-विनियम (2ए) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-

" (2बी) निवासी अथवा अनिवासी अधिग्रहणकर्ता, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, शेयर खरीद प्रतिफल के भुगतान के लिए, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास एस्क्रो खाता खोल सकता है, रख सकता है तथा बनाये रख सकता है। निवासी अथवा अनिवासी अधिग्रहणकर्ता, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, सेबी द्वारा प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागियों के पास प्रतिभूतियों के बाबत एस्क्रो खाता खोल सकता है तथा बनाये रख सकता है। ये सुविधाएं अनिवासियों को नये शेयर जारी करने तथा अनिवासियों से/को शेयरों के अंतरण करने, दोनों, के लिए लागू होंगी।"

(ii) अनुसूची 8 के बाद, इन विनियमों के अनुबंधानुसार निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी तथा वह अनुसूची संख्या 9 कहलाएगी।

[सं. फेमा. 228/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : 1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

2. मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जी.एस.आर. सं. 388(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

- (ए) 09 अप्रैल 2002 के जी.एस.आर.सं.262(ई),
- (बी) 19 अगस्त 2002 के जी.एस.आर.सं.577(ई),
- (सी) 31 दिसंबर 2002 के जी.एस.आर.सं.855(ई),

4289-87/12-2

- (डी) 04 अगस्त 2004 के जी.एस.आर.सं.494(ई),
 (ई) 07 अप्रैल 2005 के जी.एस.आर.सं.221(ई),
 (एफ) 14 नवंबर 2005 के जी.एस.आर.सं.663(ई),
 (जी) 19 जनवरी 2006 के जी.एस.आर.सं.28(ई),
 (एच) 23 जुलाई 2007 के जी.एस.आर.सं.495(ई),
 (आई) 16 अक्टूबर 2007 के जी.एस.आर.सं.664(ई),
 (जे) 14 नवंबर 2007 के जी.एस.आर.सं.714(ई),
 (के) 15 फरवरी 2008 के जी.एस.आर.सं.91(ई),
 (एल) 23 जून 2009 के जी.एस.आर.सं.442(ई),

अनुबंध

अनुसूची 9

[विनियम 5 के उप-विनियम (2बी) देखें]

एस्करो खाता खोलने के लिए शर्तें

1. भारतीय रुपये में एस्करो खाता भारत में एस्करो एजेंट के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक में ही बनाये रखा जाएगा। एस्करो खाता संयुक्त रूप में अथवा अलग-अलग खोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एस्करो खाते से संबद्ध प्रतिभूतियां सेबी द्वारा एस्करो एजेंट के रूप में प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागियों के पास डीमैट खाते में रखी जाएं।
2. ये खाते ब्याज रहित होंगे।
3. एस्करो खाते में बची शेष राशि की जमानत पर कोई भी निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित सुविधा नहीं दी जाएगी।
4. अनुमत जमा :
 - i) शेयरों के निर्गम अथवा अंतरण के प्रतिफल के रूप में विदेशी आयक प्रेषण की सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्ति; अथवा
 - ii) अनिवासी धारकों से अंतरण के मार्फत शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव करनेवाले निवासियों द्वारा भारत से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से रूपया प्रतिफल की प्राप्ति।

5. अनुमत नामे :

i) लाभार्थी (भारत में जारीकर्ता अथवा भारत या विदेश में शेयरों का अंतरणकर्ता) के बैंक खाते में

सीधे ही शेयर अंकित करने अथवा शेयरों के अंतरण के लिए प्रतिफल का प्रेषण; अथवा

ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेनदेन, जिसके लिए एस्करो खाता खोला गया था, के असफल होने/ कार्यान्वित न होने के मामले में निधियां प्रारंभिक प्रेषक को वापस लौटाने के लिए प्रतिफल का प्रेषण ।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत लेनदेन, जिसके लिए एस्करो खाता खोला गया है, मौजूदा फेमा प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए । इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग के प्रयोजनों, जारीकर्ता अथवा शेयरों के अंतरणकर्ता के बैंक खाते में निधियां अंतरित करने की तारीख प्रेषण की तारीख मानी जाएगी ।

7. यदि लेनदेन सेबी दिशा-निर्देशों/विनियमों द्वारा विनियमित हैं तो एस्करो खाते का परिचालन भी संबंधित सेबी विनियमों के अनुसार होगा ।

8. यदि एस्करो खाते में कोई शेष राशि हो तो उसे उपर्युक्त अर्जन के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर उस समय प्रचलित विनिमय दर पर (अर्थात् शेयरों के अर्जनकर्ता भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिमय दर जोखिम वहन की जाएगी) प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उपर्युक्त शेयरों के अर्जन/अंतरण के प्रस्ताव के पूरे न होने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, ऐसे प्रेषणों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर, एस्करो खाते में जमा संपूर्ण राशि के प्रत्यावर्तन/धन वापसी की अनुमति दे सकता है।

9. एस्करो खाता केवल छः महीने की अधिकतम अवधि के लिए प्रचलन में रहेगा तथा ऊपर दी गयी अपेक्षाओं के पूर्ण होने अथवा खाता खोलने की तारीख से छः माह पूर्ण होने में से जो भी पहले हो, के पूर्ण होते ही बंद कर दिया जाएगा । यदि एस्करो खाता छः महीने से अधिक अवधि के लिए बनाये रखने की आवश्यकता हो तो रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमति लेना आवश्यक होगा।

10. भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक/ सेबी प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागियों को करना होगा।

11. एस्करो खाते की शर्तें एस्करो करार, शेयर खरीद करार, शेयरों के निर्गम की शर्तों, आदि में निश्चित रूप से अंकित की जाएंगी ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th April, 2012

Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 822(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000) namely :—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from May 2, 2011. @

2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.5/2000-RB dated May 3, 2000),

- (i) in Regulation 5, after sub-regulation (2A), the following shall be added:-

“(2B) Resident or Non-resident acquirers may, subject to the terms and conditions specified in Schedule 9, open, hold and maintain Escrow Account with Authorised Dealers in India without prior approval of the Reserve Bank, towards payment of share purchase consideration. Resident or Non-resident acquirers may, subject to the terms and conditions specified in Schedule 9, open and maintain, without prior approval of the Reserve Bank, Escrow accounts for securities with SEBI authorised Depository Participants. These facilities will be applicable for both issue of fresh shares to the non-residents as well as transfer of shares from / to the non-residents.”

- (ii) After Schedule 8, the following schedule, as per the Annex to these regulations, shall be added and the same shall be numbered as Schedule 9.

[No. FEMA. 228/2012-RB]

RUDRANARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note : (i) @ Its is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to such regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R.388(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

- (a) G.S.R. No. 262(E) dated April 9, 2002;
- (b) G.S.R. No. 577(E) dated August 19, 2002;
- (c) G.S.R. No. 855(E) dated December 31, 2002;
- (d) G.S.R. No. 494(E) dated August 4, 2004;
- (e) G.S.R. No. 221(E) dated April 7, 2005;
- (f) G.S.R. No. 663(E) dated November 14, 2005;
- (g) G.S.R. No. 28 (E) dated January 19, 2006;
- (h) G.S.R. No.495(E) dated July 23, 2007.
- (i) G.S.R. No.664(E) dated October 16, 2007.
- (j) G.S.R. No.714(E) dated November 14, 2007
- (k) G.S.R. No.91(E) dated February 15, 2008.
- (l) G.S.R. No.442(E) dated June 23, 2009.

Annex

Schedule 9

(See Sub Regulation (2B) of Regulation 5)

Terms and conditions for opening of Escrow Account

1. The Escrow account in INR would be maintained only with an AD Category – I bank in India as Escrow agent. The Escrow account may be opened jointly and severally. Further, securities kept / linked with such Escrow accounts may be linked with demat account maintained with SEBI authorised Depository Participants as Escrow agents.

2. The account shall be non-interest bearing.

3. No fund or non-fund based facilities would be permitted against the balances in the Escrow account.

4. Permitted credits:

i) Receipt of foreign inward remittance as consideration towards issue or transfer of shares through normal banking channels; or

4289 87/2-3

ii) Receipt of rupee consideration through the normal banking channels from India by the resident acquirers of shares who proposes to acquire them from non-resident holders by way of transfer.

5. Permitted debits:

i) Remittance of consideration for issue of shares or transfer of shares directly into the bank accounts of the beneficiary (issuer in India or transferor of shares in India or abroad); or

ii) Remittance of consideration for refund to the initial remitter of funds in case of failure / non-materialization of the FDI transaction for which the Escrow account was opened.

6. The underlying FDI transaction for which the Escrow account is opened should be compliant with extant FEMA provisions. Further, for the purposes of FDI reporting, date of transfer of funds into the bank account of the issuer or transferor of shares, shall be the relevant date of remittance.

7. Where the transaction is governed by SEBI guidelines/regulations, operation of the Escrow accounts shall also be in accordance with the relevant SEBI regulations.

8. Balance in the Escrow account, if any, may be repatriated at the then prevailing exchange rate (i.e., the exchange rate risk will be borne by the person resident outside India acquiring the shares), after all the formalities in respect of the said acquisition are completed. In cases, where proposed acquisition/ transfer does not materialise, the AD Category – I bank may allow repatriation/ refund of the entire amount lying to the credit of the Escrow account on being satisfied with the bonafides of such remittances.

9. The Escrow account shall remain operational for a maximum period of six months only and the account shall be closed immediately after completing the requirements as outlined above or on completion of six months from the date of opening of such account, whichever is earlier. In case the Escrow account is required to be maintained beyond six months, specific permission from the Reserve Bank has to be sought.

10. Requirement of compliance with KYC guidelines issued by the Reserve Bank /SEBI shall rest with the AD Category – I bank/ SEBI authorised Depository Participants.

11. The terms of the Escrow account shall be laid down strictly in the Escrow agreement, Share purchase agreement, conditions of issue of shares, etc.